Effects of New Industrial Policy on domestic industry

1399. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(at) whether Government's attention has been drawn to the news-item which appeared in the Times of India dated 2nd November, 1991 captioned "Industrial Policy: Odds stacked against domestic industry";

(b) whether it is a fact that for Indian enterepreneurs there are different sets of rules for clearance of their applications and proposals;

(c) whether this results in fictitious foreign collaboration and tie-ups to obtain special treatment for NRIS;

(d) what steps are being taken to ensure that the New Industrial Policy does not result in increasing foreign snack foods and beverages; and

(e) whether it is a fact that no significant proposals or projects have been received after the declaration of New Industrial Policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) Under the New Industrial Policy announced by the Government on 24th July, 1991, the parameters laid down for various industrial approvals are specific, objective and transparent. It is, therefore not correct to say that for Indian entrepreneurs, there are a different set of rules for clearance of their applications and proposals.

Government, as a part of its announced policy, ensourage foreign and NRI investments, particularly in high priority industries. These industries have been specified in Annex III to the Statement on Industrial Policy laid down on the Table of both the Houses of Parliament on 24th July, 1991.

After the announcement of the new Industrial Policy till 31-10-91, over 250 foreign collaboration proposals have been approved. Of these, over 60 proposals envisage direct foreign investment of about Rs. 170 crores (including investment by Non-Resident Indians) in diverse industrial sectors like Industrial Machinery, Electrical equipments, Medical instruments, Chemicals, Food Processing Industries etc. This compare well with the total foreign investment of Rs. 128 crores approved during the whole of 1990.

रुग्ण लघु उद्योग

1400. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है, यदि हां, तो 31 मार्च, 1991 को देश में रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या कितनी थी ;

(ख) इन रुग्ण उद्योगों में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं की कितनी पूंजी लगी हुई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इन उद्योगों को फिर से चालू करने और भविष्य में उद्योगों को रुग्ण होने से रोकने के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाने का विचार रखती है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के संबंध में दिए गए आंकड़ों के अनुसार;

जैसा कि नीचे दर्शाया गया है रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या बढ रही है :—

के अंत में	रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या	बैंकों के पास बकाया राशि (रु० करोड़ में)
सितम्बर 1985	117783	1071
दिसंबर, 1986	145776	1306
दिसंबर, 1987	204259	1797
दिसंबर, 1988	240573	2141
दिसंबर, 1989*	186441	2243

(नवीनतम अवधि जिसके आकड़े उपलब्ध हैं)

किंतु सितम्बर, 1989 के अंत में उन एककों, जो बन्द हो गए हैं अथवा जिनका पता लगा पाना सम्भव नहीं है और जिनकी कोई वास्तविक परिसंपत्तियां नहीं हैं, को निकाल दिए जाने के कारण यह संख्या कम हो गई है । 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) रुग्ण एककों के पुनर्जीवन के के लिए किए गए उपायों में लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की पुनस्थापना के संबंध में सभी वाणिज्यक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं जिनमें रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की परिभाषा, जीव्यता मानदंडों, प्रारंभिक रुग्णता तथा साथ ही संभावित रूप से जीव्य रुग्ण एककों के मामले में पुनस्थापना पैकेजों के कार्यान्वयन हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली राहत व रियायतों का भी विशेष उल्लेख है ।

बैंकों द्वारा पुनर्स्थापना के लिए केवल सम्भावित जीव्य रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को हाथ में लिया जाता है । भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्य रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन हेतु एक पुनर्स्थापना पैकेज बनाने के लिए सचिव , उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर-संस्थागत समितियां का गठन किया है ।

जिन एककों की परियोजना लागत 10 लाख रु० से अधिक नहीं है उन्हें अगस्त, 1987 में गठित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से 1,50,000/- रु० तक एक प्रतिशत वार्षिक नाममात्र सेवा शुल्क पर दीर्घकालीन इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध है । यह सहायता सम्भावित रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को भी उपलब्ध है ।

केंद्रीय उद्योग मंत्रालय रुग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक सीमांत धन योजना भी चला रहा है जिसके अधीन प्रत्येक एकक को 50,000 रु० तक की सहायता दी जाती है ।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श करके मौजूदा औद्योगिक स्थिति को देखते हुए और कारगर उपाय किए जाते हैं ।

गांधी जयन्ती पर खादी ग्रामोद्योग द्वारा छूट की घोषणा

1401. **श्री राम जेठमलानी :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष गांधी जयन्ती के उपलक्ष में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने अपने विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर बिक्री किए जाने वाले सामान पर छूट की घोषणा की है ;